न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 17/23 सन् 2023

GCMS NO-2023/115

बउनवानीः–1. जमनालाल पुत्र स्व0 रामनिवास खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
2. कमलेश पुत्र स्व0 रामनिवास खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
3. प्रेमराज पुत्र स्व0 रामनिवास खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
4. श्रीमति चौसर पत्नि स्व0 रामनिवास खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
5. लाडबाई पुत्री स्व0 रामनिवास खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
6. सुनील पुत्र स्व0 राजकमल खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
7. राहुल पुत्र स्व0 राजकमल खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
8. सुनिता पुत्री स्व0 राजकमल खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
9. गायत्री पत्नि स्व0 राजकमल खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
10 गोपाल पुत्र स्व0 देव्या खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
11. मदन पुत्र स्व0 देव्या खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
12. जगमोहन पुत्र स्व0 देव्या खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
13. गीता पुत्री स्व0 देव्या खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
14. आशा बाई पुत्री स्व0 रामप्रताप खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
15. मूली बाई पुत्री स्व0 रामप्रताप खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
16. मोत्या पत्नि स्व0 रामप्रताप खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
17. प्रेमचन्द पुत्र स्व0 रामप्रताप खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
18. कन्हैया पुत्र स्व0 भूरा खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
19. केलाश चन्द पुत्र स्व0 भूरा खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
20. केलाशी पुत्री स्व0 भूरा खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
21. प्रेम पुत्री स्व0 भूरा खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
22. नोसर पत्नि स्व0 भूरा खटीक नि0 भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर वर्तमान तहसीलदार चौथ का बरवाडा
2. सरकार जरिये वर्तमान तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध तहसीलदार नायब सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1535 दिनांक 25.11.1976 वाके ग्राम भगवतगढ अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता वकील अपीलान्टगण
2. श्री तोफिक मोहम्मद पैरोकार वकील

–: निर्णय :– **दिनांक 25..2.2026**

अपील अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1535 दिनांक 25.11.1976 वाके ग्राम भगवतगढ तहसील सवाईमाधोपुर वर्तमान तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील अपीलान्ट उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा तस्दीक आदेश जैर अपील नामा0संख्या 1535 विधि एवम् तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अपीलाण्ट्स रामनिवास पुत्र माधोलाल एवम् देव्या पुत्र गंगाराम खटीक निवासीयान ग्राम भगवतगढ़ के वंशज हैं जिनमें रामनिवास की मृत्यु करीब 20–22 वर्ष तथा

(कान्हा राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

देव्या की मृत्यु करीब 28–30 वर्ष पूर्व हो गयी है। अपीलाण्ट्स संख्या 1 लगायत 3 रामनिवास के पुत्र है तथा अपीलाण्ट्स संख्या 4 उसकी पत्नी एवम् अपीलाण्ट्स संख्या 5 लाडबाई रामनिवास की पुत्री है तथा अपीलाण्ट्स संख्या 6 लगायत 8 रामनिवास के पुत्र मृतक राजकमल के पुत्र व पुत्रियाँ है अर्थात् रामनिवास के पोता पोती है तथा अपीलाण्ट्स संख्या 9 गायत्री राजकमल की पत्नी है, उसी प्रकार अपीलाण्ट्स संख्या 10 लगायत 12 मृतक देव्या के पुत्रगण तथा अपीलाण्ट्स संख्या 13 देव्या की पुत्री है तथा अपीलाण्ट्स 14, 15 देव्या के मृतक पुत्र रामप्रताप की पुत्रियाँ है एवम् अपीलाण्ट्स संख्या 16 रामप्रताप की पत्नी है तथा अपीलाण्ट्स संख्या 17 रामप्रताप का पुत्र है एवम् अपीलाण्ट संख्या 18 लगायत 21 देव्या के मृतक पुत्र भूरा के पुत्र व पुत्रीयाँ है तथा अपीलाण्ट्स संख्या 22 भूरा की पत्नी है। इस प्रकार उक्त सभी अपीलाण्ट्सगण स्व० रामनिवास एवम् देव्या खटीक के वारिसान है। हमारे पूर्वज रामनिवास एवम् देव्या खटीक को सरकार ने ग्राम भगवतगढ़ में खसरा नं० 1137 में रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का तथा खसरा नं० 1739 में रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा का व ख०नं० 1740 में 5 बिस्वा कुल मिलकर 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि का दिनांक 15.11.1977 को आवंटन कर मौके पर कब्जा सम्भलाया था जिस पर उक्त आवंटी रामनिवास व देव्या अपनी मृत्यु पर्यन्त काबिज होकर काश्त करते रहे एवम् उनकी मृत्यु के उपरान्त हम अपीलाण्ट्स बतौर वारिसान उक्त भूमि पर आज दिन तक काबिज होकर काश्त करते आये है। उक्त भूमि साबिक खसरा नं० 1739 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बरान 2714/5202, 2718, 2719, 2722, 2723, 2725, कुल किता 6 कुल रकबा 0.52 हेक्टेयर तथा साविक खसरा नं० 1740 रकबा 5 बिस्वा के नवीन नम्बर 2726 रकबा 0.06 है०, एवम् साविक ख०न० 1737 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के नवीन नम्बर 2715, 2825, 2828 कुल किता 3 कुल रकबा 0.53 है० बने है जो कि वर्तमान खसरा नम्बरान हैं। आवंटन के आधार पर आवंटी उक्त देव्या एवम् रामनिवास खटीक के पक्ष में पटवारी हल्का से गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 1535 भरते समय लापरवाही व गलती के कारण उक्त तीनों आराजीयात में से मात्र खसरा नं० 1739 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा एवम् 1740 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का ही नामान्तरकरण भरा गया तथा इनके अलावा आवंटित भूमि खसरा नं० 1137 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा नामान्तरकरण में भरने से रह गयी। इस संगीन त्रुटि पर गिरदावर हल्का का भी ध्यान नहीं गया और ना ही नामान्तरकरण तस्दीक करते समय नायब तहसीलदार जी महोदय ने इस पर गोर फरमाया तथा मात्र दो आराजीयात की ही भरे गये इस त्रुटि पूर्ण नामान्तरकरण को स्वीकार कर तस्दीक फरमा दिया। जिस कारण जमाबन्दी रिकॉर्ड में उक्त दो किता आराजीयात ही दर्ज हो पायी एवम् भरने से रह गयी आराजी खसरा नं० 1137 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का अंकन रिकॉर्ड में उक्त अलोटी रामनिवास व देव्या के नाम दर्ज नहीं हुआ। जिस कारण यह आराजी 1137 वर्तमान खसरा नं० 2715, 2825, 2828 कुल रकबा 0.53 है० राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक बारानी दर्ज चली आयी हैं। उक्त त्रुटि पटवारी हल्का के कारण हुई थी जिसमें अपीलाण्ट्स के पूर्वज आवंटी रामनिवास व देव्या खटीक की कोई गलती नही थी। नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व ना तो उन्हें बुलाया गया ना ही उन्हें सुनवाई व सबूत पेश करने का मौका दिया गया। उक्त आवंटी रामनिवास व देव्या खटीक पढ़े लिखे नहीं थे एवम् ज्यादा समझदार भी नहीं थे इस कारण वे जमाबन्दी रिकॉर्ड भी नहीं देख पाये जिस कारण उन्हें जीते जी उक्त गम्भीर त्रुटि की जानकारी नही हो पायी।

अपीलाण्ट्स भी आवंटी रामनिवास व देव्या की तरह ही उक्त समस्त 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर काबिज होकर काश्त करने लग गये एवम् उन आराजीयात खसरा नं० 1737, 1739 व 1740 से बने नवीन खसरा नम्बरान 2714/5202, 2718, 2719, 2722, 2723, 2725, 2726 एवम् 2715, 2825 व 2828 कुल किता 10 कुल रकबा 1.11 हेक्टेयर पर आज दिन तक काबिज होकर काश्त करते आये है। अपीलाण्ट्स अपने पूर्वज रामनिवास व देव्या के समय से ही काबिज होकर आज दिन तक उक्त समस्त आराजीयात पर काश्त करते आये है इस कारण उन्हें भी इन आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड, जमाबन्दी, नामान्तरकरण आदि को देखने की आवश्यकता नही पडी इस कारण उन्हें भी उक्त त्रुटि की जानकारी नही हो पायी इस कारण अपीलाण्ट्स भी उक्त छूटे हुये खसरा

.....(2).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर को रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज कराने हेतु पूर्व में कोई कार्यवाही नही कर पायें। अपीलाण्ट्स संख्या 2 एवम् 19 दिनांक 05.07.2023 को पटवारी हल्का के पास के.सी.सी. के कागजात तैयार करवाने के लिये गये तो पटवारी हल्का ने इस नामान्तरकरण की जानकारी देते हुये बताया की तुम्हारे पूर्वज रामनिवास व देव्या के नाम गैर खातेदारी के नामान्तरकरण में आवंटित भूमि खसरा नं० 1737 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भरने से रह जाने के कारण यह भूमि उनके नाम दर्ज नही हो पायी तथा इस कारण यह भूमि एवम् इसके नवीन नं० 2715, 2825, 2828 रिकॉर्ड में तुम्हारे नाम दर्ज न होकर सिवायचक बारानी दर्ज चली आयी है तुम एसडीओ कोर्ट में कार्यवाही कर अपने नाम छूटी हुई आराजी को भी दर्ज करने के आदेश लेकर आओ तो ही तुम्हारे नाम इसका इन्द्राज हो सकेगा। यह सुनकर अपीलाण्ट्स को बड़ा अचाम्भ हुआ तथा उन्होंने अन्य अपीलाण्ट्स को भी यह बात बतायी एवम् इस नामान्तरकरण की नकल लेने हेतु तहसील चौथ का बरवाड़ा में जाकर दिनांक 07.07.2023 को नकल प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर 11.07.2023 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त हुई उसके पश्चात् अपीलाण्ट्स को अन्य कागजात की नकल प्राप्त करने में काफी समय लग गया तथा अन्य अपीलाण्ट्स अधिकतर मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने की गरज से ग्राम भगवतगढ़ से बाहर बड़े शहरो में रहते आये है तथा समय–समय पर ही आवश्यकतावश ग्राम भगवतगढ़ में आते जाते है जिन्होंने अपीलाण्ट्स 2 व 19 को अपील से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही करवाने के लिये कहते हुये अपील करवाने के लिये कहा लेकिन अपीलाण्ट्स संख्या 2 व 19 माह अगस्त सन् 2023 के प्रथम सप्ताह में तेज बुखार व जुखाम से पीड़ित हो गये जिस कारण यह अपील तैयार नही करा सके तथा कुछ ठीक होने पर सवाई माधोपुर में वकील साहब से सम्पर्क करते हुये अपील तैयार करवा कर आज ही अपील पेश की है। अपीलाण्ट्स पूर्व में जानकारी नही होने के कारण एवम् बाद में बीमारी के कारण यह अपील पेश नही कर सकें जो कि देरी का एक बोनाफाइड कारण है तथा माफ फरमाये जाने योग्य हैं। इस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ पृथक से संलग्न है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर अपील अन्दर मियाद समाअत फरमायी जावें।

तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक भू0अ0/2025/201 दिनांक 12.7.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवंटन आदेश दिनांक 15.11.1977 द्वारा ग्राम भगवतगढ़ के आराजी खसरा नम्बर 1737 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 1739 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा एवं 1740 रकबा 5 बिस्वा कुल 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि का आवंटन रामनिवास पुत्र माधोलाल, देव्या पुत्र गंगाराम जाति खटीक निवासी भगवतगढ़ के नाम हुआ था। आवंटन आदेश की पालना में जरिये नामा० संख्या 1535 द्वारा साबिक खसरा नम्बर 1739 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा एवं 1740 रकबा 5 बिस्वा कुल 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि आवंटी रामनिवास पुत्र माधोलाल, देव्या पुत्र गंगाराम जाति खटीक निवासी भगवतगढ़ के नाम गैर खातेदारी स्वीकार हुई। किन्तु उक्त नामा० संख्या 1535 में साबिक खसरा नम्बर 1737 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का अंकन नहीं होने से आवंटी के नाम दर्ज होने से रह गया है साबिक खसरा नम्बर 1737 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 2715 रकबा 0.05, 2825 रकबा 0.19, 2828 रकबा 0.29 किता 3 कुल रकबा 0.53 है० बने है जो वर्तमान में सिवायचक दर्ज है जिनपर आवंटी रामनिवास पुत्र माधोलाल, देव्या पुत्र गंगाराम खटीक के वारिसान द्वारा काश्त होना बताया गया है। साबिक खसरा नम्बर 1739 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 2714/5202 रकबा 0.04 है., 2718 रकबा 0.21 है., 2719 रकबा 0.11 है., 2722 रकबा 0.03 है., 2723 रकबा 0.10 है., 2725 रकबा 0.03 किता 6 कुल रकबा 0.52 है० एवं साबिक खसरा नम्बर 1740 रकबा 5 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 2726 रकबा 0.06 है० बने हैं। वर्तमान में उक्त समस्त खसरा नम्बर आवंटी रामनिवास पुत्र माधोलाल व देव्या पुत्र गंगाराम के वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड है।

.....(3).....

(कमला राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(अपील नामा0 संख्या 17/2023 उनवानी जमना लाल बनाम सरकार वगै.)

पैरोकार राजस्व द्वारा कथन किया कि अपील मयाद बाहर पेश की गयी है तथा देरी का कोई विधिसम्मत कारण नही बताया गया है। उक्त आवंटन आदेश साबिक ख0न0 1737 की सीमा तक वर्तमान में प्रभावी है अथवा नही के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नही किया गया है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट के अनुसार अपीलान्ट मृतक आवंटी रामनिवास पुत्र माधोलाल एवं देव्या पुत्र गंगाराम खटीक के नाम दिनांक 15.11.1977 को आवंटित भूमि साबिक नम्बर 1737 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 1739 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा एवं 1740 रकबा 5 बिस्वा कुल 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि का आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1535 दिनांक 25.11.1978 गैर खातेदारी का भरकर दर्ज फैसल किया है जिसमे ख0न0 1737 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भरने से रह गया है। किन्तु उक्त नामा0 संख्या 1535 की अपील लगभग 45 वर्ष बाद पेश करने का कोई विधिसम्मत कारण नही बताया गया है। उक्त आवंटन आदेश ख0न0 1737 की सीमा तक वर्तमान भी प्रभावी है अथवा नही है, के संबंध मे भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत भी पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो सके कि आदेश जैर अपील पारित करते समय ख0न0 1737 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा पर अपीलान्ट के पूर्वजो का कब्जा काश्त रहा हो। चूंकि उक्त ख0न0 1737 पर आवंटी का कब्जा काश्त नही रहा होगा इसलिए आदेश जैर अपील में गैर खातेदारी का नामा0 मे उक्त ख0न0 का अंकन नही किया गया। ऐसी स्थिति मे नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1535 दिनांक 25.11.1976 मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्राावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25..2.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner